न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 276/2015

दायर दिनांक–08.12.2015

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र चौथूराम जाति नाई निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. चंद्रभान पुत्र चौथमल
2. प्रभाती पत्नी चौथमल
3. रामेश्वरी बेवा भगवानाराम
4. श्यामलाल पुत्र भगवानाराम
5. दारासिंह पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी कुड़ली तहसील व जिला सीकर।
6. उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–30.07.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी मे स्थित भूमि खाता संख्या नया 423 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.71 है0 स्थित है।

वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजेन्द्र, चंद्रभान पिता चौथू, प्रभाती पत्नी चौथू नाई हिस्सा 1/2, रामेश्वरी बेवा भगवाना व श्यामलाल पुत्र भगवाना नाई हिस्सा 1/2 हिस्से का खातेदार दर्जशुदा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/2 है। वादग्रस्त भूमि का आज तक कोई विभाजन नही हुआ है। ना ही सही रूप से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिसके संबंध में राजस्व मंडल व श्रीमान न्यायालय में तीन अलग अलग वाद विचाराधीन है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की नियत खराब है और शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की भूमि को बिना बंटवारा करवाये तथा राजस्व मंडल के स्थगन होने के बावजूद अपने द्वारा बनवाये विक्रय पत्र मे यह अंकित करते हुए कि किसी न्यायालय का स्थगन नही है। जबकि राजस्व मंडल अजमेर में स्वयं द्वारा स्थगन आदेश जारी करवाया गया है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने विधि विरूद्व तरीके से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के हक में दिनांक 16.11.2015 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। वादग्रस्त भूमि शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 05 विक्रय पत्र की आड़ में जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को बिना विधिवत विभाजन किये उक्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। अगर प्रतिवादीगण 03 लगायत 5 इस नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी। प्रतिवादीगण 3 व 4 भू माफियाओं से मिली भगत करके सड़क से लगते किमती हिस्से पर प्रतिवादी सं0 5 का कब्जा करवाकर निर्माण कार्य करने पर अमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी मे स्थित भूमि खाता संख्या नया 423 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.71 है0 भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त शामलाती भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक किसी निश्चित भू भाग पर विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2015 की आड़ में जबरन लठ के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य न तो स्वयं करें अथवा न किसी अन्य से करवाये। उक्त भूमि का विक्रय नही करे। प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

निर्माण कार्य न तो स्वयं करें अथवा न किसी अन्य से करवाये। उक्त भूमि का विक्रय नही करे। प्रतिवादी संख्या 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र न तो स्वयं तस्दीक करें और न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से तस्दीक करवाये। प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में दावा दायरी से पूर्व या बाद में कोई अगर विक्रय पत्र बनवा दिया है तो उसका नामांतरकरण न तो स्वयं करें ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवाये।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु राजेन्द्र पुत्र चौथूराम का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70, प्रदर्श 2 नकल विक्रय पत्र प्रदर्श 3 नकल ऑर्डर सीट वाद रामेश्वर बनाम छगन प्रदर्श 4 नकल ऑर्डर सीट वाद लक्ष्मी बनाम राजेन्द्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सवंत् 2067–70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। बिना विभाजन के ही उक्त भूमि में से रामेश्वरी पत्नी भगवाना व श्यामलाल पुत्र भगवाना ने अपना हिस्सा दिनांक 16.11.2015 को दारासिंह पुत्र भींवाराम को विक्रय कर दिया है। मुताबिक वादी उक्त क्रेता अविभाजित आराजी के विशेष भू भाग पर कब्जा करके निर्माण करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। अतः इस भूमि का जब तक विभाजन नही हो जाता उक्त विवादग्रस्त भूमि के विशेष भाग पर कब्जा नही करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी मे स्थित भूमि खाता संख्या नया 423 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.71 है0 कें सबंध में प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि बिना विधिवत विभाजन उक्त भूमि के विशेष भू भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

32

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

<u>दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा सं0:– 276/2015 (राजेन्द्र बनाम चंद्रभान आदि)

<u>अंतिम डिक्री</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी मे स्थित भूमि खाता संख्या नया 423 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.71 है0 कें सबंध में प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि बिना विधिवत विभाजन उक्त भूमि के विशेष भू भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.07.2024 को जारी की गई।

30/07/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00